न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
40/2021	23/03/2021	04/11/2025

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री बिरदा मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
2. सीताराम पुत्र स्व0 श्री बिरदा जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
3. शंकर पुत्र स्व0 श्री बिरदा जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।

वादीगण

बनाम

1. लालाराम पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
2. फैलीराम पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
3. जन्सी पुत्र स्व0 श्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
4. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
5. कजोड पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
6. कृष्ण पुत्र स्व0 श्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम पापड तह0 जमवारामगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादीगण।
श्री सुरेश शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 89, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि खसरा नम्बर 429 रकबा 1.0000है0 भूमि चाकै ग्राम पापड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो बिरदा पुत्र गोदू के नाम दर्ज है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। बिरदा की मृत्यु हो गये जिसके वारिसान वादीगण है। उक्त आराजी ही वादग्रस्त आराजी है। वादीगण की संयुक्त हकअधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 1.0000है0 भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर बिना किसी अधिकार के आये दिन वादीगण से झगडा करते रहते है तथा वादीगण को बेकाबिज करने की धमकिश देते है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के है जिन्होने बिना किसी अधिकार के वादीगण की भूमि में दखल देते है और कहते है कि आपके अभी खातेदारी दर्ज नही है आप गैर खातेदार ही हो ओर प्रतिवादीगण षडेयंत्र रचकर वादीगण के हकाधिकारों की भूमि से मिटटी बैचान करना चाहते है तथा जबरन मिटटी खुदाई भी करने लगे जिसके लिये वादीगण द्वारा तहसीलदार को सूचना देने पर आदेशानुसार पटवारी हल्का ने दिनांक 13.07.2017 को मिटटी खुदाई रूकवा दी जिसके पश्चात से प्रतिवादीगण वादीगण की गैर खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल नही की किन्तु

अब पुनः वादीगण को परेशान कर झुठे झगडे कर वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेकाबिज कर पुख्ता निर्माण करने व मिटटी खुदाई करने व खून खराबा करने पर आमादा है और प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम उनकेन प्रकारेण भूमि पर कब्जा कर तुम्हे बेकाबिज करके रहेगे। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है जबकि वादीगण को अपनी भूमि की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के गैर कृत्यों को रोकने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार है। अतः उक्त वादांकित भूमि के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को जबरन बेकाबिज नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग निर्माण कार्य में दखल नही करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, ना ही मिटटी खुदाई करे, ना ही पेडों की कटाई छंगाई करें। उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने परिवारजनों से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की ओर से एड0 ने उपस्थित होकर वकालनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को धारा 188 की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम पापड, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 1.0000है0 में किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को जबरन बेकाबिज नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग निर्माण कार्य में दखल नही करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, ना ही मिटटी खुदाई करे, ना ही पेडों की कटाई छंगाई करें। उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने परिवारजनों से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रामजीलाल वगै0 बनाम लालाराम वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 89, 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 40/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादीगण व श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ता 6 मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को धारा 188 की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम पापड, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 1.0000है0 में किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को जबरन बेकाबिज नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग निर्माण कार्य में दखल नही करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, ना ही मिटटी खुदाई करे, ना ही पेडों की कटाई छंगाई करें। उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने परिवारजनों से करावें।

डिक्री आज दिनांक 04/11/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner